न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 / / निगरानी / 2016—17

R 712- I-17

सन्तोष आचार्य पुत्र श्री सुखलाल आचार्य
उम्र लगभग—44 वर्ष,
कृषक एवं निवासी—ग्राम लश्करपुर
तह0 व जिला विदिशा ——निगरानीकर्ता

विरूद्ध

श्रीमती शीलाबाई शर्मा पुत्री श्री सुखलाल आचार्य
पत्नि श्री गजेन्द्रशर्मा,
उम्र लगभग—46 वर्ष,धंधा—गृहणी,
पूर्व निवासी — ग्रा0 पीपलखेड़ा तह0 व जि0 विदिशा
वर्तमान निवासी— ग्रा0बगाना तह0 व जि0 देवास ——रेस्पांडेंट

निगरानी अन्तर्गत धारा—50 भू—राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील एवं जिला विदिशा के प्र0क्र0 129 / अपील / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2017 (जो कि न्यायालय तहसीलदार तहसील विदिशा के प्र0क्र0 / 96 / अ—6 / 2010—11 में पारित आदेश दिनांक—14.10.2011 एवं ग्राम लश्करपुर तह0 व जि0 विदिशा की ना0पं0क्र0 1 पर दिनांक 17.10.2011 को पारित नामान्तरण आदेश से उद्भूत है) से परिवेदित होकर निर्धारित समयावधि में यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण में अपेक्षित अभिलेख

1— अ0वि0अ0 तहसील विदिशा का प्र0क्र0 129 / अपील / 2015—16
2— तहसीलदार तहसील विदिशा का प्र0क्र0 96 / अ—6 / 2010—11
3— ग्राम लश्करपुर तह0विदिशा की नामांतरण पंजी क्र.1 दि.17.10.2011

प्रकरण के तथ्य

1— यह कि निगरानीकर्ता सन्तोष आचार्य एवं रेस्पा. श्रीमती शीलाबाई सगे भाई बहिन होकर स्व. श्री सुखलाल आचार्य आत्मज स्व. श्री विनयराम की सन्तान हैं।

2— यह कि स्व. श्री सुखलाल ग्राम लश्करपुर तह0 व जिला विदिशा की भूमि ख0क्र0 325 / 1 रकबा 0.105है0 ख0क्र0 328 / 1 रकबा 0.282है0, ख0क्र0634 / 1 रकबा 0.627है0, ख0क्र0 724 / 2, रकबा 0.627है0, कुल किता—4 कुल रकबा 1.641है0 के अभिलिखित भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी थे।

3— यह कि श्री सुखलाल का दिनांक—03 जनवरी 2011 को देहान्त हो गया है। उनके द्वारा देहान्त के पूर्व दिनांक—02.02.2010 को उक्त अचल सम्पत्ति का अपने पौत्र अर्थात पुत्र के पुत्र श्री नीलेश नाबालिग पुत्र सन्तोष आचार्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-712-एक/17 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12/09/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तह0 व जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 129/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नीलेश नाबालिग पुत्र संतोष आचार्य सर0 दादी कौशिल्याबाई द्वारा ग्राम लश्करपुर स्थित भूमि सर्वे क्र. 325/1, 328/1, 634/1, 724/2 रकवा 1.641 हे. भूमि का वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु तहसीलदार तह0 विदिशा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार के आदेश दिनांक 14.10.11 द्वारा आवेदक संतोष आचार्य का नामांतरण स्वीकृत किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 24.06.2016 को विलंब से अपील पेश की गई। जिस पर कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16.01.2017 को धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी आवेदन में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश पारित करते समय शीलाबाई के धारा-5 अवधि विधान के आवेदन-पत्र एवं उस पर संतोष आचार्य के लिखित उत्तर एवं पक्षकारों के तर्क का उल्लेख तो किया है, परंतु उन पर कोई अपना निष्कर्ष न देते हुए जो निगरानीधीन आदेश पारित किया है वह speaking Order की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उनके द्वारा पारित किए गए आदेश में विनिश्चय के कारण अंकित नहीं किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किए गए समस्त बिन्दुओं का विवेचन नहीं किया है, अपने आदेश पारित करने के कारण नहीं दिए हैं। अत: अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश न्यायिक आदेश की श्रेणी में न आने के कारण अवैध होकर निरस्त योग्य है। 4. अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित मानते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक को तहसीलदार के आदेश की जानकारी दिनांक 03.03.2016 को प्राप्त होना मानते हुए धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया गया। अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार विलंब क्षमा न्यायालय का विवेकाधिकार है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी गुण-दोष पर होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस किया जाये। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	